मध्यप्रदेश होमगार्डस नियम 2016

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2.definitions
3.होमगार्ड पर अधीिण
4.होमगार्ड के प्रधान सेनानी एवं महाननदेशक
5.महाननदेशक की शक्ततयां
6.स्वयंसेवी होमगार्ोिं का ववभभन्न श्रेणणयों में नामननदेशन
7.होमगार्ड स्वयंसेववयों का स्थानांतरण
8.होमगार्ड स्वयंसेवी के रुप में नामांकन
9.नामांकन के भिए शारीररक तथा अन्य पात्रता की शते
10.होमगार्डस स्वयंसेववयों के नामांकन के भिए चयन सभमनत
11.होमगार्ड में स्वयंसेवी के रुप में नामांकन के भिए चयन प्रककया
12.चचककत्सीय परीिण
13.चररत्र तथा पूवडवृत्त सत्यापन
14.नामांकन का प्रमाणपत्र
15.प्रनतज्ञा
16.त्यागपत्र
17.स्वयंसेवी होमगार्ड का बुननयादी प्रभशिण
18.होमगार्ड स्वयंसेवी क्िाा ररवड
19.वदी तथा साि-सज्िा
20.शास्त्र तथा गोिा बारूद
21.होमगार्ड को सहायता के भिए बुिाया िाना
22.होमगार्ड के कतडव्य
23.अनुशासन
24.दंर्
25.दक्र्त करने की शक्ततयां
26.अपीि
27.सेवा की शतें
28.अन्य नौकररयों हेतु ननयोिन के भिए स्वयंसेवी होमगार्ड द्वारा आवेदन29.स्वयंसेवी होमगार्ड तथा अचधकाररयों की अन्य ववभागों में अस्थायी ववशेष र्ूयूटी30.ननरसन एवं व्यावृवत्त
31.प्रमाण पत्र तथा अन्य सामग्री का समपडण

- पररभशष्ट-क
- पररभशष्ट- ख
- पररभशष्ट-ग
- पररभशष्ट-र्
- पररभशष्ट-च
- पररभशष्ट-छ

गृह विभाग
मंत्रालय, िल्लभ भिि,
भोपाल

भोपाल, ददिांक 13 अप्रैल 2016

मध्यप्रदेश होमगार्डस नियम 2016

कमांक एफ-2 (अ)88/2012/बी-4.-दो मध्यप्रदेश होमगार्ड अचधननयम. 1947 (सन् 1947 कापत्रहवा) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्ततयों को प्रयोग में िाते हुए. राज्य सरकार, एतदद्वारा, होमगार्डस्वयंसेववयों से संबंचधत ननम्नभिणखत ननयम बनाती है, अथाडत् :-

नियम

1. संक्षिप्त िाम और प्रारंभ-(1) इन ननयमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश होमगार्डस ननयम 2016 है

।

(2) ये ननयम मध्यप्रदेश राितपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पररभाषाएं.-इन ननयमों में, िब तक कक संदभड से अन्यथा अपेक्षित न हो.-

(K)"अचधननयम" से अभभप्रेत है, मध्यप्रदेश होमगार्डस अचधननयम 1947 सन् 1947 का पन्त्रहवां (पूवड मध्य प्रांत एवं बरार अचधननयम, 1947

(b))"प्रधान सेनानी" से अभभप्रेत है, अचधननयम की धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा ननयुतत प्रधान सेनानी और महाननदेशक होमगार्डस;

(c)"सेनानी" से अभभप्रेत है, अचधननयम की धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा ननयुतत ककया गया सेनानी होमगार्ड;

(d)"संभाग" से अभभप्रेत है, मध्यप्रदेश का राितस्व संभाग,

(e)'संभागीय सेनानी" से अभभप्रेत है। ककसी राितस्व संभाग या उसके ककसी भाग के भिए होमगार्ड सेनानी या ककसी राितस्व संभाग या उसके ककसी भाग के भिए होमगार्ड का मुख्य अचधकारी;(f)"क्ििा" से अभभप्रेत है, मध्यप्रदेश का राितस्व क्ििा;

(six)"क्ििा सेनानी" से अभभप्रेत है ककसी राितस्व क्ििे या उसके ककसी भाग के भिए होमगार्ड सेनानी या ककसी राितस्व क्ििे या उसके भाग का होमगार्ड का मुख्य अचधकारी;

(ि)"क्ििा दडर्ाचधकारी' ' से अभभप्रेत है ककसी क्ििे के कायडपािक प्रशासन से प्रभाररत तथा दडर्ाचधकारी की शक्ततयों का प्रयोग करने वािा ऐसे कायडपािक प्रशासन से प्रभाररत मुख्य अचधकारी चाहे वह ककसी भी पदनाम से िाना िाता हो;

(i)"पुभिस" का वही अथड होगा, िो पुभिस अचधननयम, 1861 (1861 का 5) या तत्समय प्रवृत्त ककसी अचधननयभमनत में उस शब्द के भिए समनुदेभशत ककया गया है;

(j)"पुभिस अधीिक" का वही अथड होगा िो पुभिस अचधननयम, 1861 (1861 का 5) में उस शब्द के भिए समनुदेभशत ककया गया है;

Page **2** of **23**

(t)"हड़तािि" से अभभप्रेत है, प्रभशिण अथवा होमगार्ड के रूप में सम्पूणड कत्तडव्य पर रहते हुए, संयुतत रूप से या सक्म्मभित रीनत में या सामूहहक समझ के अधीन पूणडत: या भागत: कतडव्यों का ननवडहन न ककया िाना;

(l)"राज्य सरकार" से अभभप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार ।

3. होमगार्ड पर अधीिण-

सम्पूणड राज्य में होमगार्ड का अधीिण राज्य सरकार में ननहहत होगा ।

4. होमगार्ड के प्रधाि सेिािी एिं महानिदेशक--

पूरे राज्य में होमगार्ड का प्रशासन प्रधान सेनानी और महाननदेशक भांनत के ककसी अचधकारीतथा ऐसे महाननरीिक, उप महाननरीिक, अनतररतत प्रधान सेनानी और अन्य अचधकाररयों में ननहहतहोगा िैसा कक राज्य सरकार द्वारा ववहहत ककया िाए ।

5. महानिदेशक की शक्ततयां.-

(1)होमगार्ड अचधननयम एवं ननयम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के ननदेशों के अधीन महाननदेशक को प्रभशिण, संचािन, पररचािन गनतववचधयों, संगठन, अनुशासन एवं दडर्. प्रशासन, वदी एवं साि सज्िा का माप दडर्, कय, शस्त्र, गोिा बारूद, उपकरणों एवं भडर्ार के रखरखाव एवं ववननयमन तथा होमगार्ड के समस्त कभमडयों एवं अचधकाररयों पर समग्र ननयंत्रण एवं ननदेशन की शक्ततयों का प्रयोग करने का अचधकार होगा ।

(2)महाननदेशक को राज्य शासन के अनुमोदन से स्थायी आदेश िारी करने का अचधकार होगा ।

6. **स्ियंसेिी होमगार्ों का विभभन्ि श्रेणणयों में िामनिदेशि**-

राज्य सरकार द्वारा िारी ननदेशों के अध्यधीन रहते हुए, स्वयंसेवी अन्य श्रेणणयों मेंननम्नभिणखत रीनत में नामननदेभशत ककया िा सकेगा :-

(K)स्वयंसेवी कम्पनी कमांर्र-महाननरीिक द्वारा;

(b)स्वयंसेवी प्िाटून कमांर्र, स्वयंसेवी सहायक प्िाटून कमांर्र-उप महाननरीिक एवं अनतररतत प्रधान सेनानी द्वारा;

(c)स्वयंसेवी नायक, स्वयंसेवी हवाि्दार-संभागीय सेनानी द्वारा;

(d)स्वयंसेवी सैननक, स्वयंसेवी िांस नायक-क्िा सेनानी द्वारा;

मध्यप्रदेश के समस्त क्िों में प्रनत कम्पनी होमगार्ड स्वयंसेववयों की कुि स्वीकृत संख्या 165 होगी |प्रनत कम्पनी में स्वयंसेववयों की संख्या ननम्नानुसार है :-

प्रनत कंपिी स्ियंसेवियों की निधाडररत संख्या के ब्यौरे

पदनाम	संख्या
नामननदेभशत स्वयंसेवी कम्पनी कमांर्र	01
नामननदेभशत स्वयंसेवी प्िाटून कमांर्र	05
नामननदेभशत स्वयंसेवी सहायक प्िाटून कमांर्र	05
नामननदेभशत स्वयंसेवी कम्पनी हवाि्दार मेिर	01
नामननदेभशत स्वयंसेवी कंपनी तवाटडर मास्टर	01
नामननदेभशत स्वयंसेवी सेतशन हवाि्दार	15
नामननदेभशत स्वयंसेवी सेतशन नायक/सेतशन िांस नायक	15
होमगार्ड स्वयंसेवी	122
कुल	**165**

7. **होमगार्ड स्ियंसेवियों का स्थािांतरण**.-

(1) ककसी होमगार्ड स्वयंसेवी को उसके स्

स्थानांतररत नहीं ककया िाएगा|

(2) यहद कोई होमगार्ड स्वयंसेवी ककसी अ

अपने क्िा ररिवड से भार मुतत होना होगा| तब वह अन्य क्िे के होमगार्ड के क्िा ररिवडमें नए भसरे

परन्तु वह होमगार्ड स्वयंसेवी के भिए ननधाडररत पात्रता शतो कों अन्यथा पूणड करता हो ।

8. होमगार्ड स्ियंसेिी के रुप में िामांकि-कोई व्यक्तत होमगार्ड स्वयंसेवी के रूप में नामांककत नहींककया िाएगा:

(K)िब तक कक उसने नामांकन के वषड की पहिी अगस्त को 18 वषड की आयु पूणड न कर िी हो ककन्तु 28 वषड की आयु पूणड न की हो:

परंतु यहद अभ्यथी. अनुसूचचत िानत / अनुसूचचत िनिानत या अन्य वपछड़े वगड का सदस्य है, तो वह उच्चतर आयु सीमा में अचधकतम 5 वषड की छूट का हकदार होगा:

परंतु यह और कक कोई अभ्यथी िो स्थाई शासकीय सेवक हो, उसने 38 वषड की आयु पूणड न की हो ।

(b)िब तक कक वह भारत का नागररक न हो तथा उसे उस क्िे का रहवासी होना चाहहए क्िसमें वह नामांककत होना चाहता है और उसे मध्यप्रदेश का मूि ननवासी होना चाहहए । उसे इस आशय का सिम प्राचधकारी द्वारा िारी मूि ननवासी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(c)िब तक कक उसने मध्यप्रदेश बोर्ड से या मध्यप्रदेश में क्स्थत ऐसे वविद्यािय से िो केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध हो दसवीं स्तर की परीिा उत्तीणड न कर िी हो:

परंतु अनुसूचचत िनिानत का कोई अभ्यथी यहद वह आठवीं किा उत्तीणड है तो वह पात्र होगा ।

(d)यहद वह मध्यप्रदेश सरकार के ववद्यमान ननदेशों के अनुसार अच्छे नैनतक आचरण वािा न हो: परंतु राज्य सरकार, आतररक सुरिा से संबंचधत गोपनीय कायड के भिए पात्रता संबंधी शतो को भशचथि कर सकेगी तथा होमगार्ड ऐसी अवचध के भिए तथा ऐसी संख्या में िो कक राज्य सरकार द्वारा ववननहदडष्ट की िाए, तदनुसार नामांककत ककए िा सकेंगे । इस प्रकार ननयुतत होमगार्ड की पहचान को गुप्त रखने के भिए हर संभव प्रयास ककया िाएगा ।

9. िामांकि के भलए शारीररक तथा अन्य पात्रता की शते-

(K)आवेदक की ऊंचाई 168 सेन्टीमीटर से कम नहीं होनी चाहहए । अनुसूचचत िनिानत वगो के भिए न्यूनतम अपेक्षित ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर होगी । महहिा अभ्यचथडयों की दशा में ऊंचाई 155 सेन्टीमीटर से कम नहीं होना चाहहए ।

(b)पुरुष आवेदक की दशा में, सीना 05 सेन्टीमीटर फुिाव के साथ, 81 सेन्टीमीटर से कम नहीं होना चाहहए । अनुसूचचत िनिानत वगड के ककसी आवेदक को सीना कम से कम 5 सेन्टीमीटर फुिाव के साथ 78 सेन्टीमीटर से कम नहीं होना चाहहए ।

(c)पुरुष अभ्यचथडयों के पैर न तो समतित (फ्िैट फुटेर्) होना चाहहए और न ही घुटने भमिे हुए (नोकनी) होना चाहहए । महहिा अभ्यचथडयों के पैर समतित (फ्िैट फुटेर्) नहीं होने चाहहए ।(d)आवेदक कदाचरण के आधार पर पदच्युत िोकसेवक नहीं होना चाहहए ।

(e)आवेदक ककसी क्िािा ररिवड से कदाचरण के आधार पर उन्मोचचत ककया गया नहीं होना चाहहए ।

10. होमगार्डस स्ियंसेवियों के िामांकि के भलए चयि सभमनत-

होमगार्डस के नामांकन के भिए चयन सभमनत का गठन ननम्नानुसार होगा :-

1. क्िािा दडर्ाचधकारी या उसका प्रनतननचध (िो अनतररतत क्िािा दडर्ाचधकारी से ननम्न अध्यिपद श्रेणी का कोई अचधकारी न हो)
2. संभागीय कमांर्ेन्ट अथवा उसका समकि या महाननदेशक. होमगार्ड द्वारा सदस्यनामननदेभशत कोई वररष्ठ अचधकारी ।
3. संबंचधत क्िािे या ककसी अन्य क्िािे का क्िािा सेनानी. होमगार्ड या महाननदेशक. सदस्यहोमगार्ड द्वारा नामननदेभशत उसका समकि अचधकारी;
सचचव4. उस क्िािे या ककसी अन्य क्िािे या िेत्र का होमगार्ड का कम्पनी कमांर्र या प्िाटून
सदस्यकमांर्र

हटप् पणी :- चयन सभमनत के सदस् यों में से एक अनुसूचचत िानत या अनुसूचचत िनिानत से होगा ।

11. होमगार्ड में स्ियंसेिी के रुप में िामांकि के भलए चयि प्रककया-

(1)प्रस्ताववत नामांकन कायडक्रम का राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रों में प्रकाभशत करके पूरे क्िािे में व्यापक प्रचार-प्रसार ककया िाएगा ।

(2)क्िािा सेनानी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदनों की पात्रता शत् तो के अनुसार चयन सभमनत द्वारा छानबीन की िाएगी । पात्रता शते पूरी न करने वािे आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य कर हदए

िाएंगे तथा उसकी सूचना क्िािा सेनानी के कायाडिय के सूचना पटि पर प्रमुखता से प्रदभशडत की िाएगी ।

(3)आवेदन के ननरस्त होने के ववरुद्ध अभ्यावेदन या अपीि ऐसे सिम अचधकारी द्वारा ववननक्श्चतकी िाएगी िो महाननदेशक द्वारा नामननहदडष्ट, उप महाननरीिक से ननम्न श्रेणी का न हो ।(4)पात्र पाए गए आवेदकों को इस ववषय पर स्थाई आदेश के अनुसार चयन सभमनत द्वारा संचाभित की िाने वािी पूवड नामांकन परीिा से होकर गुिरना होगा ।

(5)चयन प्रकक्रया के पूणड होने पर पररणाम, स्थाई आदेश में ववननहदडष्ट ककए गए अनुसार सिम प्राचधकारी के अनुमोदन से घोवषत ककया िाएगा ।

12. चचककत्सीय परीिण-

होमगार्ड सेनानी, पूवड नामांकन परीिा में सफि आवेदकों का क्िा चचककत्सा बोर्ड द्वाराचचककत्सा परीिण कराएगा । चचककत्सीय रूप से अनुपयुतत घोवषत आवेदक नामांकन के भिए अपात्रहोगें ।

13. चररत्र तथा पूिवृत्त सत्यापि.-

क्िा सेनानी सफि अभ्यचथडयों के चररत्र तथा पूवडवृत फामड को आवचयक चररत्र तथा पूवडवृत्तसत्यापन के भिए संबंचधत क्िा पुभिस अधीिक को भेिेगा । पुभिस अधीिक से प्रनतकूि सत्यापनररपोटड वािे आवेदक नामांकन के भिए अपात्र होंगे ।

14. िामांकि का प्रमाणपत्र.-

(1)स्वयंसेवी होमगार्ड को, नामांकन के समय इन ननयमों से संिग्न प्ररुप (पररभशष्ट-क) में एक नामांकन प्रमाणपत्र ननयुक्तत अचधकारी की मुरा तथा हस्तािर के साथ हदया िाएगा ।(2)यह प्रमाणपत्र स्वयंसेवी होमगार्ड द्वारा उसके कतडव्य या प्रभशिण के समय स्थायी रुप से रखा िाएगा ।

(3)उन्मोचन के समय ऐसा प्रमाणपत्र स्वयंसेवी होमगार्ड द्वारा क्िा सेनानी को अभ्यवपडत ककया िाएगा ।

(4)नामांकन प्रमाणपत्र के खो िाने पर या ितिग्रस्त होने पर, इस ववषय में स्थाई आदेश के अध्यधीन रहते हुए उसे प्रमाणपत्र की दूसरी प्रनत िारी की िा सकेगी ।

15. प्रनतज्ञा:-

चयन सभमनत द्वारा चयननत कोई आवेदक, इन ननयमों से संिग्न प्रनतज्ञा के प्ररूप (पररभशष्ट–ख) में अवधाररत ककए गए अनुसार भारत के संववधान के प्रनत ननष्ठा की शपथ िेगा|

16. **त्यागपत्र** :-

(1)कोई स्वयंसेवी होमगार्ड क्िा ररिवड में उसकी अवचध के पूणड होने के पूवड इन ननयमों से संिग्नप्ररूप (पररभशष्ट –ग) में क्िा सेनानी को संबोचधत भिणखत में आवेदन द्वारा तीस हदन से अचधककी पूणड सूचना के साथ उसके स्वयंसेवी होमगार्ड या स्वयंसेवी अचधकारी की हैभसयत से त्यागपत्रदे सकेगा :

Page **6** of **23**

परन्तु ऐसा त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा िब तक कक यथाक्स्थनत यह ननयुक्तत प्राचधकार द्वारा स्वीकृत नहीं ककया िाता और इस आशय की सूचना आवेदक को नहीं दे दी िाती |

(2)क्िा सेनानी त्यागपत्र को अपनी टीप के साथ ननयुतत प्राचधकारी के ठीक वररष्ठ अचधकारी को अग्रेवषत करेगा|

(3)क्िा सेनानी की पूवड स्वीकृनत के बबना कतडव्य पर उपक्स्थत न होने को यह इस आधार पर कतडव्य पर उपक्स्थत होने में असमथड की सूचना देने को कक त्यागपत्र दे हदया गया है, कतडव्य से अनुपक्स्थनत माना िाएगा|

17. स्ियंसेिी होमगार्ड का बुनियादी प्रभशिण:-

(1)प्रत्येक स्वयंसेवी होमगार्ड उसके नामांकन के शीघ्र पचचात् 90 कायड हदवस की ककसी अवचध के भिए व्यक्ततयों तथा संपवत्तयों की सुरिा, अपराधों की रोकथाम, िोक व्यवस्था संधारण अक्ग्नशमन और सुरिा से सम्बंचधत ववभभन्न ववषयों में ववभशष्टता ननम्नभिणखत ववषयों में बुननयादी प्रभशिण प्राप्त करेगा :-

(एक) शारीररक प्रभशिण और परेर्;

(दो) ननरायुध संघषड;

(तीन) शास्त्र प्रभशिण और ननशानेबानी का अभ्यास;

(चार) सावडिाननक व्यवस्था तथा भीड़ ननयंत्रण;

(पांच) नतशों संबंधी पढ़ाई,

(छह) कानून और दडर् प्रककया सहहत आपराचधक न्याय प्रणािी;

(सात) मानव अचधकार;
(आठ) आपदा प्रबंधन (प्राकृनतक एवं मानव ननभमडत), नागररक सुरिा तथा अक्ग्नशमन;
(नौ) होमगार्ड के कतडव्य तथा शक्ततयां;
(दस) सूचना प्रौद्योचगकी के उपकरण तथा उनके प्रयोग;
(ग्यारह) संदेश िेखन;
(बारह) गार्ड के कतडव्य;
(तेरह) यातायात ननयंत्रण;
(चौदह) फीलू क्राफ् ट तथा रणनीनत
(पंरह) प्राथभमक उपचार;
(सोिह) बचाव एवं बाढ़ राहत; तथा
(सत्रह) कोई अन्य ववषय िो कक समय-समय पर ववहहत ककए िाएं ।

(b)

ररफ्रेशर प्रभशिण :- प्रत्येक स्वयंसेवी होमगार्ड को महाननदेशक द्वारा िारी इस ववषय से संबंचधत स्थायी आदेश के अनुरूप 30 कायड हदवस का ररफेशर कोसड करना अननवायड होगा ।

(c) एर्ािांस प्रभशिण (अचिम प्रभशिण):-

नामांककत सहायक प्िाटून कमार्डर और उससे ऊपर की रैंक के स्वयंसेवी होमगार्ड हेतु 30कायड हदवस एर्वांस कोसड (अचग्रम-प्रभशिण) चिाया िावेगा, क्िसमें व्याख्यान और मैदानी कायो से

Page **7** of **23**

संबंचधत ननम्न ववषय शाभमि होगे-

(1)संगठन और मानव संसाधन प्रबंधन ।
(2)नागरकक सुरिा के उपाय ।
(3)आपातकािीन राहत कायड ।
(4)नतशों एवं स्वचभित हचथयार का ज्ञान ।
(5)युद्व कौशि एवं युक्ततां ।
(6)सूचना प्रौद्योचगकी के तय एवं उनके उपयोग की िानकारी
।(7)संदेश िेखन एवं
(8)महाननदेशक द्वारा ननधाडररत अन्य ववषय

(घ) िेतृत्ि प्रभशिण

सहायक प्िाटून कमांर्र और उससे उच्च श्रेणी के अचधकारी, स्वंय को नेतृत्व की भूभमकाओं के भिएतैयार करने हेतु प्रभशिण कायडकम में भाग िेंगे ।

दिप् पणी:- बुननयादी, ररफ्रेशर,उन् नत तथा नेतृत् व प्रभशिण का पाठ्यक्रम तथा अवचध स् थाई आदेश के अनुसार

18. होमगार्ड स्ियंसेिी क्िला ररिि--

(1)प्रत्येक क्ििे में होमगार्ड स्वयंसेवी क्ििा ररिवड बि के रुप में होंगे । क्ििा ररिवड इतनीकम्पननयां अथवा स्वंयसेवी होमगार्ड सैननकों और स्वयंसेवी अचधकाररयों तथा स्थायी अचधकाररयोंएवं कमडचाररवृन्द से भमिकर बनेगा िैसा कक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ववहहत ककयािाए ।

राज्य के होमगार्ड ररिवड में क्ििावार स्वीकृत बि की वतडमान संरचना इन ननयमों सेसंिग्न है । पररभशष्ट-घ)

(2)ककसी कम्पनी कमांर्र के नेतृत्व में क्ििा ररिवड की प्रत्येक कम्पनी 165 स्वयंसेवी होमगार्डसैननकों से भमिकर बनेगी िो कक तीन प्िाटूनों में ववभतत होगी, प्रत्येक का नेतृत्व एक प्िाटूनकमांर्र द्वारा ककया िाएगा । प्रत्येक प्िाटून तीन अथवा अचधक अनुभागों से भमिकर बनेगी ।प्रत्येक का नेतृत्व सहायक प्िादून कमांर्र की श्रेणी के अनुभाग कमांर्र द्वारा ककया िाएगा ।

(3)क्िि◌ा होमगार्ड ररिवड के सभी सदस्यों के प्रशासन. प्रभशिण, अनुशासन तथा कल्याण के प्रयोिनके भिए क्िि◌ा सेनानी की सहायता ऐसी संस्था में अधीनस्थ अचधकाररयों द्वारा की ि◌ाएगी िैसीकक राज्य सरकार द्वारा ववहहत की ि◌ाए ।

19. िदी तथा सािि-सज्ि◌ा-

(1)होमगार्ड के समस्त अचधकाररयों तथा स्वयंसेववयों को अपेने कतडव्यों के ननष्पादन के दौरानउपयोग ककए ि◌ाने के भिए वदी तथा साि सज्ि◌ा राज्य के व्यय पर प्रदाय की ि◌ाएगी । वेउनकी श्रेणी के अनुसार उपबंचधत बैि भी पहनेंगे । वतडमान में प्रदाय ककए ि◌ा रहे वदी तथा सािसज्ि◌ा की ववभशष्ट वस्तुओं के ब्यौरे इन ननयमों से संिग्न हैं । (पररभशष्ट-र्)

(2)स्वयंसेवी होमगार्ड के सदस्य उनके कंधे की पट टी पर म.प्र.न.से. के अिर धारण करेंगे तथाअचधकारी अनतररतत रुप से उस श्रेणी के बैि धारण करेंगे ि◌ो कक राज्य सरकार आदेश द्वाराववननहदडष्ट करे । (पररभशष्ट-च)

20. शास्त्र तथा गोला बारूद.-

होमगार्ड के अचधकारी तथा स्वयंसेवी प्रभशिण तथा कतडव्य के संचािन के दौरान ऐसी रीनत मेंछोटे शस्त्रों को, िैसे राइफि और सववडस ररवोल् वर तथा गोि◌ा बारूद उपयोग करने तथा रखने केहकदार होंगे िैसा कक राज्य सरकार द्वारा ववहहत ककया ि◌ाए ।

21. होमगार्ड को सहायता के भलए बुलाया ि◌ाि◌ा-

(1)क्िि◌ा दडर्ाचधकारी ननम्नभिणखत प्रयोिनों के भिए क्िि◌ा ररिवड से होमगार्ड स्वयंसेवकों को बुि◌ाने के भिए अचधकृत होगा :-

प्राकृनतक आपदाओं या असामाक्िक तत्वों से ि◌ानमाि की सुरिा, आवचयक सेवाओं कोबनाए रखने, अशांत क्स्थनतयों के दमन, यातायात एवं िनसभाओं के ननयंत्रण तथा ववननयमन,अपराधों की रोकथाम, पुभिस तथा सेना प्राचधकाररयों की सहायता के भिए राष्रीय हहत में सुरिाअथवा कल्याण के सामान्य उपाय;

(2)इस प्रकार आचधकाररक रुप से सहायता के भिए बुि◌ाए गए स्वयंसेवी होमगार्ड की कुि संख्याक्िि◌ा ररिवड की अचधकृत संख्या के 90 प्रनतशत से अचधक नहीं होगी । केवि राज्य सरकार केपूवड अनुमोदन से ही 100 प्रनतशत तक बुि◌ाया ि◌ा सकेगा ।

(3)महाननदेशक या होमगार्ड का ऐसा अचधकारी ि◌ो कक उसके द्वारा प्राचधकृत ककया ि◌ाए राज्य केककसी िेत्र के भिए प्रभशिण. प्रशासननक. गोि◌ा बारुदों की सुरिा. नागररक सुरिा, प्राकृनतक एवंमानवननभमडत आपदाओं तथा िोक कल्याण एवं हहत के सामान्य उपायों से संबंचधत ककसी कतडव्यके ननष्पादन के भिए होमगार्ड को बुि◌ाने हेतु आदेश दे सकेगा ।

22. होमगार्ड के कतडव्य.-

ननयम 21 के अधीन आचधकाररक रुप से सहायता के भिए बुि◌ाए गए स्वयंसेवी होमगार्ड नीचेउक्ल्िणखत ककसी अथवा सभी कतडव्यों का ननष्पादन करने के भिए उत्तरदायी होंगे.-

(1) पुभिस को यातायात प्रबंधन में सहायता करना;
(2) गचत तथा राबत्र गचत करना;
(3) भीड़ ननयंत्रण में पुभिस की सहायता करना;
(4) पुभिस को सूचना तथा आसूचना में सहायता करना;
(5) समाि के कमिोर वगो की सुरिा तथा साम्प्रदानयक सौहादड के भिए प्रशासन को सहायतादेना;
(6) अफवाहों, भगदड़ संत्रास को कम करना तथा संगहठत बचाव कायड तथा ककसी प्रकार के आपातिसे
(7) अक्ग्न. हवाई हमिा, बाढ़, महामारी, प्राकृनतक और मानव ननभमडत आपदाओं; औरराज्य सरकार द्वारा यथा ननदेभशत कोई भी अन्य कतडव्य तथा दानयत्वों का ननवडहन करना ।

23. अिुशासि.-

(K)होमगार्ड स्वयंसेवक ऐसे सभी कतडव्यों तथा कायो का ननष्ठा के साथ ननवडन करेंगे िैसा कक उन्हें ननहदडष्ट ककया िाए तथा समस्त ववचधसम्मत आदेशों का पूणड सत्यननष्ठा के साथ पािन करेगे ।

(b)होमगार्ड के समस्त अचधकारी तथा काभमडक अपने को सदैव अनुशाभसत, समान रुप से संगठन की भांनत आचरण करेंगे ।

(c)अपने पदीय कतडव्यों के ननवडहन में अभशष्टता से कायड नहीं करेगा एवंऐसा कुछ नहीं करेगा िो अनुशासनहीनता का द्योतक हो ।

(d)होमगार्ड स्वयंसेवक ककसी ववधान मडि या स्थानीय प्राचधकरण के ननवाडचन में न तो मत याचनाकरेगा न अन्यथा हस्तिेप करेगा न अपने प्रभाव का उपयोग करेगा और न उसमें भाग िेगा ।

(e)होमगार्ड स्वयंसेवक ककसी रािनैनतक दि या ककसी संगठन का िो रािनीनत में भाग िेता हो न तो सदस्य होगा न ककसी रािनैनतक आदोिन या कायडकिाप में भाग िेगा ।

(f)यहद यह कानून के उल्िंघन का ऐसा कोई कृत्य करता है िो ककसी संज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराधकी श्रेणी में आता है तो वह 48 घंटे के अन्दर इसकी सूचना अपने क्िािा सेनानी को देगा ।सूचना न हदए िाने की क्स्थनत में वह होमगार्ड क्िािा ररिड से सेवामुतत ककए िाने का दायीहोगा ।

(six)कतडव्य से बबना ककसी समुचचत कारण के अनुपक्स्थत नहीं रहेगा ।

(ि)कतडव्य अथवा प्रभशिण के समय पररुप धारण कर शाभमि नहीं होगा ।

(i)अपने कतडव्यों के ननवडहन के दौरान ककसी मादक पेय अथवा औषचध का सेवन नहीं करेगा नउसके प्रभाव में रहेगा । नशे की हाित में ककसी भी सावडिननक स्थान में उपक्स्थत नहीं होगा ।ककसी िेत्र में िहां वह हो कुछ समय के भिए भी मादक पेय एवं औषचधयों से संबंचधत प्रवृत्त

ववचध का द्दढतापूवडक पािन करेगा ।

(j)अपने प्रचार के अधीन सम्पवत्त गोिाबारुद ककट तिोवपंग एवं स्टोर के संबंध में ररपोटड प्रस्तुत नहीं करेगा ।

(t)उसे प्रदत्त की गई सम्पवत्त. हचथयारों तथा वदी का दुरुपयोग नहीं करेगा । वररष्ठ अचधकाररयोंद्वारा िारी ककए गए सामान्य तथा ववशेष ववचधसम्मत् आदेशों के प्रनत ननष्ठा रखेगा तथािानबूझकर अवज्ञा नहीं करेगा ।

(l)उसकी अभभरिा तथा सुरिा में दी गई संपवत्त का गबन नहीं करेगा तथा इसका दुष्प्रेरण भी नहीं करेगा ।

24. दंर्.-

कदाचरण तथा अनुशासनहीनता के कृत्यों के भिए होमगार्ड स्वयंसेवकों पर ननम्नभिणखत दडर्अचधरोवपत ककए िा सकेंगे

(K)(1) चधगदंर्;
(2) पररननंदा;
(3) 03 हदन से अनचधक अनतररतत कवायद अथवा श्रमिननत थकावट का कायड कराना;(4)

ननिंबन;

(5) क्िि‍ा ररिवड से ननधाडररत समय पूवड सेवामुतत करना ।

(b)तीन हदवस के मानदेय से अनचधक अथडदडर्

(c)रैंक में अवननत

(d)28 हदन से अनचधक अनतररतत कवायद, गार्ड ड यूटी. श्रम िननत थकावट के कायड कराना ।

25. दक्डर्त करिे की शक्ततयां-

(K)**क्िला सेिािी.**-क्िि‍ा सेनानी िांस नायक व स्वयंसेवी होमगार्ड सैननक की पद श्रेणी तक के भिए अनुशासनहीनता के कृत्य के भिए अदडिी रूम की प्रकक्रया को अपनाएगा तथा सुने िाने का अवसर देने के पचचात ननयम 24 (क) में उक्ल्िणखत कोई शाक्स्स अचधरोवपत कर सकेगा ।(b)**संभागीय सेिािी.**-संभागीय सेनानी / स्वयंसेवी से स्वयंसेवी हविदार या नायक या उससे कम पद श्रेणी के स्वयंसेवी के संबंध में, ननयम 24 (क) तथा 24 (ख) में यथा उक्ल्िणखत

अनुशासनहीनता के कृत्य के भिए शाक्स्त अचधरोवपत करने के भिए सिम होगा ।

(c)**उप महानिरीिक/अनतररतत प्रधाि सेिािी.**-उप महाननरीिक/अनतररतत प्रधान सेनानी प्िादून कमाडर्र या उससे कम पद श्रेणी के स्वयंसेवी तक को ननयम 24 (क), 24 (ख) तथा 24 (ग) में यथा सूचीबद्ध अनुशासनहीनता के ककसी भी कृत्य के भिए कोई शाक्स्त अचधरोवपत करने हेतु सिम होंगे ।

Page **11** of **23**

(d)**महानिरीिक**-महाननरीिक कम्पनी कमाडर्र या उससे कम पद श्रेणी तक के स्वयंसेवी को ननयम24 (क), 24 (ख) तथा 24 (ग) तथा 24 (घ) में यथासूचीबद्ध अनुशासनहीनता के ककसी भीकृत्य के भिए शाक्स्त अचधरोवपत करने हेतु सिम होगा: परंतु यह कक

(1)अनतररतत श्रमिननत (फटीग) अनतररतत परेर् अथवा दडर् स्वरुप कायड से संबंचधत दडर् के ननष्पादन की दशा में, अपचारी की शारीररक िमता का ध्यान रखा िाएगा ।

(2)कोई शाक्स्त अचधरोवपत करने की दशा में ववद्यमान ननदेशों में अभभकचथत प्रककया का पािन ककया िाएगा ।

(3)दडर्ादेश की प्रनत ठीक वररष्ठ अचधकारी तथा ननयुक्तत प्राचधकारी को भी पृष्ठांककत की िाएगी ।

26. अपील.-

(1)सिा के प्रत्येक आदेश के ववरुद्ध, ऐसे आदेश पाररत करने वािे अचधकारी से ठीक वररष्ठ अचधकारी को अपीि की िा सकेगी ।

(2)अनुशासननक प्राचधकारी द्वारा पाररत आदेश के ववरुद्ध केवि एक अपीि ग्राहय होगी । तथावप ऐसे आदेशों के ववरूद्व महाननदेशक को पुनरीिण याचचका प्रस्तुत की िा सकेगी ।

(3)महाननदेशक अपने अधीनस्थ अचधकाररयों द्वारा पाररत आदेशों का स्वप्रेरणा से भी पुनरीिण कर सकेगा ।

(4)महाननदेशक द्वारा उसे ऐसा करने हेतु ववशेष कप से अचधकृत ककए िाने पर अनतररतत महाननदेशक भी' पुनरीिण की शक्ततयों का प्रयोग कर सकेगा ।

(5)दडर्ादेश की सूचना प्रदान ककए िाने की तारीख से 30 हदनों के भीतर अपीि प्रस्तुत की िा सकेगी

(6)अपीिीय अचधकारी द्वारा पाररत आदेश संसूचचत होने की तारीख से 30 हदनों के भीतर पुनरीिण याचचका प्रस्तुत की िा सकेगी ।

(7)पररसीमा अवचध 30 हदन के पचचात प्रस्तुत कोई अपीि या पुनरीिण याचचका तब तक ग्राइय नहीं की िाएगी, िब तक कक यह बताने का युक्ततयुतत एवं पयाडप्त आधार न हो कक ववहहत समय अवचध के भीतर उसे प्रस्तुत कर पाना याचचकाकताड की सामान्य िमता से परे था ।

27. सेिा की शतें.-

(1) िामांकि की अिचध:-

(K)प्रभशिण सफिता पूवडक पूणड करने पर. स्वयंसेवी होमगार्ड छह माह की काििावचध के भिए होमगार्ड के रुप में सेवा करेगा क्िसे राज्य सरकार द्वारा 12 माह से अनचधक की कुि काििावचध तक बढ़ाया िा सकेगा यहद राज्य सरकार ऐसे ववस्तार आवचयक समझे तथा उसके पचचात तीन वषड की काििावचध के भिए ररिवड में सेवा करेगा, और ररिवड के दौरान ककसी भी समय कतडव्य पर बुिाए िाने के दानयत्वाधीन होगा ।

(b)एक स्वयंसेवी होमगार्ड अपने नामांकन की प्रारंभभक अवचध. के पूणड होने पर अपने नामांकन के ववस्तार के पूवड संतोषिनक आचरण, चररत्र सत्यापन, चचककत्सा परीिण. शारीररक िमता तथा

इच्छा के अध्यधीन रहते हुए समय-समय पर महाननदेशक द्वारा संभागीय सेनानी से अननम्न श्रेणी के नामननदेभशत अचधकारी की अध्यिता वािी क्िििा समीिा सभमनत की अनुशंसा पर अपने नामांकन के ववस्तार का पात्र होगा । सेवा ववस्तार 41 वषड की आयु तक अनुज्ञात ककया िाएगा ।

(c)स्वयंसेवी होमगार्ड वषड में 10 माह आहूत कतडव्य (काि आउट डर्यूटी) पर रहेगा । क्िििा ररिवड पर नामांककत प्रत्येक स्वयंसेवी होमगार्ड को आहूत कतडव्य (काि आउट ड यूटी) पर बुिाये िाने का समान अवसर सुननक्चचत ककया िाएगा । इस प्रयोिन हेतु युक्ततयुतत रोस्टर तैयार ककया िाएगा तथा प्रकाभशत ककया िाएगा और मांगे िाने पर स्वयंसेववयों को इसकी प्रनत उपिब्ध कराई िाएगी ।

(2) स्िियंसेिी होमगार्ड का सेिामुतत ककया िाना:-

स्वयंसेवी होमगार्ड ननम्नभिणखत पररक्स्थनतयों में कायडमुतत ककए िाने के दानयत्वाधीन होगा-

(K)क्िििा होमगार्ड ररिवड में, ननयभमत रहने की, उसकी अननच्छा के कारण;

(b)बुननयादी प्रभशिण पूणड होने पर एक अनतररतत अवसर देने के पचचात भी परीिा उत् तीणड करने में असफि रहने पर;

(c)अनुपयुतत या शारीररक रुप से अयोग्य पाए िाने पर;

(d)41 वषड की आयु पूणड होने पर;

(e)सेवामुतत करने की शाक्स्त अचधरोवपत होने पर;

(f)आपराचधक प्रकरण में अभभयोग पत्र प्रस्तुत होने पर अथवा 48 घड टे से अचधक पुभिस अभभरिा में ननरुद्ध रहने पर;

सिम प्राचधकारी उपरोतत पररक्स्थनतयों में पररभशष्ट-छ में हदए गए प्ररुप में सेवामुतत करने काआदेश िारी करेगा ।

(3) तैनाती:-

राज्य सरकार द्वारा िारी ककसी ववशेष आदेश द्वारा ननयम 21 के अधीन कतडव्य के भिएबुिाए गए स्वयंसेवी होमगार्ड मध्यप्रदेश में ककसी भी स्थान पर, अथवा देश में या बाहर कहीं भी औरववदेश में भी तैनात ककए िाने के दानयत्वाधीन होगा । ववदेश में तैनाती सामान्यतया संबंचधतस्वयंसेवी होमगार्ड की सहमनत से की िाएगी ।

(4)भत्ते:-

आहूत कतडव्य (काि आउट ड यूटी) अथवा प्रभशिण पर रहते हुए होमगार्ड शासन द्वारा, समय-समय पर, यथाननयत मानदेय तथा अन्य भत्ते प्राप्त करेगा ।

(5) िामांकि अविध में अन्य नियोिि पर प्रनतबंध:-

(K)स्वयंसेवी होमगार्ड िब आहूत कतडव्य (काि आऊट ड यूटी) या प्रभशिण पर रहते हुए स्वयं को

ककसी अन्य ननयोिन में नहीं िगाएगा ।

(b)ककसी स्वयंसेवी होमगार्ड को, िब वह कतडव्य अथवा प्रभशिण पर न हो, क्िििा सेनानी को सूचना के अधीन स्वयं को ककसी कायड या उप-व् यवसाय में िगाने की स्वतंत्रता होगी:

परन्तु

(एक) कोई भी ऐसा रोिगार या उप-व्यवसाय अंशकाििीन अथवा पूणडकाििीन स्वीकार नहीं करेगा क्िसको करने से ववभाग के हहतों का टकराव होता हो ।

(दो) वह स्वयं ऐसे ककसी भी रोिगार अथवा उप-व्यवसाय में संिग्न नहीं होगा िो क्िििा होमगार्डरररिवड के सदस्य के रुप में उसकी प्रनतष्ठा के अनुरुप न हो ।

28. अन्य िौकररयों हेतु नियोिि के भलए स्ियंसेिी होमगार्ड द्िारा आिेदि-

अपने क्िििा सेनानी को सूचचत करने के अधीन रहते हुए, स्वयंसेवी होमगार्ड ककसी भी अन्यववभाग अथवा चयन ननकाय में ककसी पद के भिए अपने चयन हेतु आवेदन कर सकेगा । चयननतहोने की क्स्थनत में, वह ननयुक्तत पत्र की प्रनतभिवप सहहत अपने क्िििा सेनानी को सूचना देगा । वहननयम--16 के अनुसार. 30 हदवस की सूचना सहहत अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा तथावप, स्वयंसेवीहोमगार्ड की प्राथडना पर युक्ततयुतत आधार पर, क्िििा सेनानी उतत 30 हदवस की सूचना अवचध कोभशचथि कर सकेगा ।

29. स्ियंसेिी होमगार्ड तथा अचधकाररयों की अन्य विभागों में अस्थायी विशेष र्ूयूिी--

(K)स्वयंसेवी होमगार्ड तथा स्वयंसेवी अचधकारी राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार तथा केन्त्र सरकार के अन्य ववभागों में उनकी मांग के आधार पर तैनात ककए िा सकेंगे ।

(b)होमगार्ड की सेवा प्राप्त करने वािा ववभाग, उन होमगार्ड को आस्थगत संदाय या हकों की प्रनतपूनतड करने की दृक्ष्ट से होमगार्ड को देय सभी भत्तों की 150 प्रनतशत के बराबर राभश का भुगतान करेगा ।

(c)दूसरे ववभाग में तैनाती की अवचध के दौरान स्वयंसेवी या अचधकारी घायि होता है या मृत्यु होती है तो वह सेवा प्राप्त करने वािा ववभाग ववस्तृत आदेशों के अनुसार मृत्युसह िनत अभभिाभों के संबंध में भुगतान करने का दायी होगा ।

(d)होमगार्ड की तैनाती के बदिे में. अन्य ववभागों से प्राप्त राभश में से 10 प्रनतशत राभश होमगार्ड के केन्त्रीय कल्याण कोष में िमा की िाएगी ।

(e)पात्रता मापदडर्ोंं को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए. स्वयंसेवी होमगार्ड को राज्य सरकार तथा केन्त्र सरकार के अन्य ववभागों में अस्थाई ववशेष कतडव्य पर तैनात ककया िा सकेगा ।

(f)चयननत होने की दशा में अनतरररतत आवेदक अचधकारी साध्यता के अनुसार महाननदेशक राज्य सरकार को प्रनतननयुक्तत के भिए अपनी टीप सहहत आवेदन की अनुशंसा कर सकेगा ।

(six)अस्थाई ववशेष ड यूटी की अवचध तथा ननबडधन, इस ववषय में राज्य सरकार के ववस्तृत अनुदेशों द्वारा ववननयभमत ककए िाएंगे ।

30. **प्रमाण पत्र तथा अन्य सामिी का समपडण**-

(K)नामांकन प्रमाण पत्र ननष् प्रभावी हो िाएगा िब वह व्यक्तत क्िसका नाम उसमें अंककत है, स्वयंसेवी होमगार्ड न रहे । होमगार्ड क्िििा रररिवड का सदस्य न रहने पर होमगार्ड ऐसी समाक्प्त की तारीख से 10 हदन के भीतर क्िििा सैनानी को अपने नामांकन का प्रमाण पत्र समवपडत करेगा ।

(b)सेवामुक्तत से पूवड स्वयंसेवी होमगार्ड वदी उपकरण, हचथयार तथा गोिा बारूद, साििसज्िा की समस्त सामग्री तथा उसके कब्िे में होमगार्ड की अन्य सम्पक्त्त. यहद कोई हो. अच्छी हाित में वापस सौंपेगा ।

(c)इन ननयमों के अधीन अचधरोवपत कोई िुमाडना. उसको देय धन से वसूिा िाएगा, ककन्तु यहद संभव न हो तो. भू-रािस्व के बकाया के रुप में वसूिनीय होगा ।

31. निरसि एिं व्यािृवत्त-

(1) मध्यप्रांत एवं बरार होमगार्ड ननयम. 1947 (मध्यप्रदेश एर्ेपटेशन ऑफ िॉि आर्डर, 1956 द्वारा अंगीकृत) एतदद्वारा, ननरभसत ककए िाते हैं:

परंतु ऐसे ननरसन से,-

(K)इन ननयमों के प्रारंभ होने के पूवड की गई ककसी बात या कारडवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा;(b)ककसी ऐसे अचधकार, ववशेषाचधकार, बाध्यता या दानयत्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा िो इन ननयमों के अधीन अक्िडत. प्रोद् भूत या उपगत हुए हों ।

(3)इस प्रकार ननरभसत ननयमों के अधीन की गई ककसी बात या ककसी कारडवाई या िारी ककए गएआदेश आहद के बारे में यह समझा िाएगा कक वह इन ननयमों के तत् स् थानी उपबंधों के अधीन कीगई बात या की गई कारडवाई या िारी ककया गया आदेश है ।

Page **15** of **23**

पररभशष्ि-क

<u>िामांकि प्रमाण</u>पत्र

(देणखये ननयम 14 (क))

नाम ....वपता पनत का नाम ....श्रेणी.............................. ....ननवास स्थान का पता ....

को मध्यप्रदेश होमगार्ड अचधननयम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतगडतहोमगार्ड का अचधकारी / सदस्य के रूप में नामांककत ककया गया है । ववचध अनुसार कतडव्य पर होनेके दौरान, उसे पुभिस बि का सदस्य माना िाएगा और उसे वही शक्ततयां, संरिण तथा ववशेषाचधकार होंगे और तत्समय प्रवृत्त ककसी ववचध के अधीन ननयुतत ककए गए ककसी पुभिसअचधकारी के दानयत्वों के अधीन होगा ।

नामांकन की तारीख ....वैद्यता: हदनांक .... से हदनांक .... तकस्थान ....

तारीख ....

ननयुक्ततकताड प्राचधकारी

पत्रमुरा

Page **16** of **23**

शपथ

(देणखये ननयम 15)

पररभशष्ि- ख

मैं,...................................... आत्मि / आत्मिा / पत्नी.................................सत्यननष्ठा सेशपथ िेता / िेती हूं कक मैं भारत के संववधान के प्रनत पूणड ननष्ठा एवं आस्था रखूंगा / रखूंगी और यह कक मैंहोमगार्ड में अपने कतव्यों का ननवडहन पूणड ईमानदारी एवं ननष्ठापूवडक करूंगा / करूंगी तथा शासकीय कतडव्योंके ननवडहन हेतु िहााँ भी आदेश होगा मैं िाऊंगा / िाऊंगी तथा सिम अचधकारी के सभी ववचध सम्मत आदेशोंका पािन अपनी िान िोणखम में र्ािकर भी करने हेतु तत्पर रहूंगा / रहूंगी ।

हदनांक ....स्थान ....

हस्ता. शपथकताड नाम

नाम..........................

पद..........................

मेरे सामने ववचधवत पुक्ष्ट की गई ।

हदनांक......................   अभभप्रमाणन अचधकारी का नाम तथा
हस्ताािरपदनाम.....................................

पररभशष्ि-ग

त्याग-पत्र
(देणखये नियम 16
(क))

मैं (नाम) ....क्रमांक......................पद..................
.... मध्यप्रदेश होमगार्डस अचधननयम 1947 (1947 का पन्त्रहवां) की धारा 6 की उपधारा(3) के अधीन होमगार्ड के ....कििा ररिवड में हदनांक .... को स्वयंसेवीके रूप में नामांककत ककया गया था । मैं व्यक्ततगत् कारणों से, अपनी सेवाएं होमगार्ड संगठन में िारी नहींरखना चाहता हूं और इस सूचना अथाडत् हदनांक .... (हदन/माह/वषड) से प्रभावी, से ....हदवस (30 हदवस से कम नहीं) के अवसान होने पर संगठन से सेवामुतत प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्टकरें ।

हदनांक:- ....

(होमगार्ड का िाम तथा
हस्तािर)
क्रमांक...................................
पद.......................................
कििा
....

मध्यप्रदेश होमगार्ड स्ियंसेिी के कििेिार
स्िीकृत पद(देणखए नियम 18 (1))

अनु क्र.	कििे का नाम	कंपनी की संख्या	पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	िबिपुर	4	665
2.	कटनी	1	165
3.	भसवनी	2	325
4.	नछंदवार्ा	2	325
5.	बाििाघाट	2	325
6.	नरभसंहपुर	2	325
7.	मंर्िा	1	175
8.	डर्ंर्ोरी	1	165
9.	भोपाि	5	815
10.	सीहोर	3	485
11.	रायसेन	2	325
12.	ववहदशा	2	325
13.	बैतूि	2	325
14.	होशंगाबाद	2	325
15.	राजगढ़	2	325
16.	हरदा	1	165
17.	इंदौर	4	645

18.	धार	2	325
19.	झाबुँआ	1	160
20.	अिीरा◌िपुर	1	165
21.	खंर्वा	1	160
22.	बुरहानपुर	1	165
23.	खरगौन	1	165
24.	बर्वानी	1	165
25.	उज्◌ि◌ैन	4	650
26.	देवास	2	325
27.	मंदसौर	1	165
28.	रतिाम	3	485
29.	नीमच	1	165
30.	शा◌ि◌ापुर - आगर	2	325
31.	ग्वाभियर	4	645
32.	भशवपुरी	2	325
33.	गुना	2	320

Page **19** of **23**

34.	दनतया	2	325
35.	भभंर्	2	325
36.	मुरैना	1	165
37.	चयोपुर	1	165
38.	अशोकनगर	1	165
39.	रीवा	3	485
40.	सतना	3	485
41.	सीधी	2	320
42.	भसंगरौ◌ि◌ी	1	165
43.	शहर्◌ो◌ि	1	165
44.	उमररया	1	165
45.	अनुपपुर	1	160
46.	सागर	3	485
47.	टीकमगढ़	2	325
48.	दमोह	2	325
49.	छतरपुर	2	325
50.	पन्ना	2	325
	sum	**97**	15800

सारांश

मध्यप्रदेश होमगार्ड की स्वीकृत कम्पनी	97
मध्यप्रदेश होमगार्ड की स्वीकृत बि	15800
मध्यप्रदेश होमगार्ड गोपनीय सैननक	205

मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी-अनुभाग) ववभाग, मंत्राि़य, भोपाि़ का पत्र क्रमांक एफ.19-12/2012/दो/सी-2 भोपाि़ हदनांक 21-11-12 के द्वारा क्ि़िा बाि़ाघाट के भिए300 गोपनीयसैननकों के पद स्वीकृत ककए गए हैं		300
मध्यप्रदेश होमगार्ड कुि़ योग	16305

ि़दी सामिी
(देणखए नियम 19(1))

अनु.क.	सामग्री का नाम	सामग्री की इकाई	सामग्री व ि़ीवनअव
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ककट बातस	1 नग	8 साि़
2	शटड खाकी टेरीकॉट / कपर्ि़ा	2 ि़ोड़	1 साि़
3	पेंट खाकी टेरीकॉट / कपर्ि़ा	2 ि़ोड़	1 साि़
4.	शटड खाकी कॉटन	1 ि़ोड़	2 साि़
5.	पेंट खाकी कॉटन	1 ि़ोड़	2 साि़
6.	बूट एंकि काि़ा	1 ि़ोड़	2 साि़
7.	कन्धा बैि़	1नग	5 साि़
8.	केप बैि़	1नग	5 साि़
9.	कैप बैरेट	1नग	1 साि़
10.	व्हीभसि	1नग	5 साि़
11.	ि़ेनयार्ड	1नग	1 साि़
12.	सेररमोननयि	1नग	2 साि़
13.	हॉफस शू काि़ा	1 ि़ोड़	1 साि़
14.	पी.टी. शू	1 ि़ोड़	4 माह
15.	शू ब्रश	1 नग	6 माह
16.	शू पाभिश	2नग	3 माह
17.	हंटर शू	1 ि़ोड़	9 माह
18.	मौि़े खाकी	2 ि़ोड़	4 माह
19.	मच्छरदानी	1नग	4 साि़
20.	दरी	1नग	3 साि़
21.	कम्बि	2 नग	5 साि़
22.	हॉफ पेंट खाकी	1नग	2 साि़
23.	वूि़न ि़सी खाकी	1 नग	5 साि़
24.	अंगोि़ा शटड	1 नग	3 साि़
25.	ग्रेट कोट	1 नग	5 साि़
26.	बरसाती टोपी सहहत	1 नग	3 साि़
27.	केन	1 नग	5 साि़
28.	हटकफन	1 नग	5 साि़
29.	एंकिट वेब	1 ि़ोड़	3 साि़

30.	िेदर बेल्ट	1 नग	6 सावि
31.	रेंक बैि	**प्रचभलत निदेशों के अिुरूप**	
32.	कोट ब्िेिेर	1 नग	3 सावि

मदहला होमगार्ड

अि.क्र.	सामिी का िाम	सामिी की इकाई	सामिी की िीिि अिधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शटड खाकी टेरीकॉट/ कपड़ा	1 नग	
2.	पेंट खाकी टेरीकॉट	1 नग	
3.	सिवार सूट दुपटटा	2 नग	
4.	साड़ी टेरीकॉट खाकी	1 नग	
5.	ब्िाउस टेरीकॉट खाकी	1 नग	
6.	पेटीकोट कॉटन खाकी	1 नग	
7.	बीं शू ब्राउन	1 नग	
8.	रेंक बैि	प्रचभित ननदेशों के अनुरूप	

पररभशष्ि-च

रैंक पब बैि

(नियम देखें 19 (2))

अनु.क्र.	पदनाम/बैंक	बैि.
1.	नामांककत स्वयंसेवी कम्पनी कमांर्र	तीन भसतारे (नीिी, िाि पटटी सहहत)
2.	नामांककत स्वयंसेवी प्िाटून कमांर्र	दो भसतारे (नीिी, िाि पटटी सहहत)
3.	नामांककत स्वयंसेवी सहायक प्िाटून कमांर्र	एक भसतारा (नीिा, िाि पटटी सहहत)
4.	नामांककत स्वयंसेवी कंपनी हवािदार मेिर	दाहहनी किाई पर चमड़े के पटटे पर अशोकस्तम्भ
5.	नामांककत स्वयंसेवी कंपनी तवाटडर मास्टर	दाहहनी भुिा पर तीन सफ़ेद फीत, फीत केऊपर सेफद वगाडकार चचन्ह सहहत
6.	नामांककत स्वयंसेवी हवािदार	दाहहनी उपरी भुिा पर दो सफेद फीत
7.	नामांककत स्वयंसेवी नायक	दाहहनी उपरी भुिा पर दो सफेद फीत
8.	नामांककत स्वयंसेवी िांस नायक	दाहहनी उपरी भुिा पर एक सफेद फीत

पररभशष्ि-छ

सेिामुतत प्रमाण-पत्र

(नियम- 27 (2) देखे)

यह प्रमाणणत ककया िाता है कक क्रमांक.................पद..........................नाम........................ ......आत्मि/आत्मिा/पत्नि................................... को क्िि रक्षित, क्िि .... में हदनांक......................... को नामांककत ककया गया था । क्िसे मध्यप्रदेश होमगार्ड एतट 1947 (1947 का पत्रहवा)के अधीन बनाए गए ननयमों के ननयम 30 के खडर् (दो) के अधीन, ... (आधार पर उल्िेख करें) के फिस्वरूप .... के अनुमोदन से सेवामुतत ककयािाता हे ।

1.चररत्र....................................

2.प्रभशिण की समयावचध..........................

3.सेवाओं का ववववरण (यहद कोई हो)....................................

4.ननवास शहर 7 ग्राम...........................पोस्ट ऑकफस..........................

5.थाना.........................क्ि◌ि◌ा...............................वपन कोर्................

क्ि◌ि◌ा सेनानी

....